SAMVARDHINI
PEER REVIEWED MULTILINGUAL E-RESEARCH JOURNAL
(ISSN ONLINE: - 2583-7176)
https://samvardhini.in
https://www.samskritpromotion.in

SAMVARDHINI :- 01/12/2025
Volume - 7
Issue - 2
(ISSN ONLINE :- 2583-7176)
https://samvardhini.in

ईसीसीई के सन्दर्भ में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)

प्रशान्त जैन

शोधसार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) के महत्त्व को उजागर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित यह विचार, प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों द्वारा रचित स्मृति, पुराण एवं नीति ग्रंथो में उपलब्ध भारतीय विचारों के अनुरूप है। भारतीय संस्कृति में प्राप्त १६ संस्कारों में से ११ संस्कार शिक्षा से ही सम्बंधित है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति शिशु देखभाल एवं शिक्षा के सन्दर्भ में जागृत है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में ही मस्तिष्क का अधिकांश विकास होता है। प्रस्तुत शोधलेख में ईसीसीई के सन्दर्भ में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अन्वेषण करता है। यह लेख ईसीसीई के सन्दर्भ में हो रहे अनुसन्धान के लिए आधारभूत होगा।

कूटशब्द

प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा (ECCE), राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२०, १६ संस्कार, स्मृतिग्रन्थ, नीतिशास्त्र, पुराणसाहित्य

प्रशान्त जैन
वरिष्ठानुसन्धाता
श्रीलालबहादुरशास्त्री
राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः
नवदेहली

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) की बात करती है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ECCE) कोई नविन पद्धति नहीं है, जो शिक्षा नीति द्वारा बनाई गई हो, अपितु प्राचीन काल से भारतीय परम्परा में चलती आ रही शिशुओं की लालन-पोषण से संबद्ध चर्चा है, जो कि शिक्षा से विस्मृत हो गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० शिक्षा का प्रारम्भ नर्सरी कक्षा से करती है। यह नीति प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था (१०+२) को बदलकर प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (५+३+३+४) में शिक्षा व्यवस्था को विभाजित करती है। इस पद्धति में प्रथम कक्षा से पूर्व नर्सरी एवं प्रारंभिक शिक्षा से सम्बंधित अन्य दो वर्गों को शिक्षण पद्धति में जोड़ा गया है।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२०, प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) को शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने का कारण स्पष्ट कहती है कि -

> बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईसीसीई में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १.१)

प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान, भारतीय संविधान के मूलभूत तत्त्व समानता का पोषक है। समानता भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार भी है। भारत के सभी बच्चों को विकास का समान अवसर देना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० प्रारंभिक पांच वर्षीय अध्ययन में रोचकता एवं तार्किकता वर्धक, खेल आधारित शिक्षण पद्धति का ही ग्रहण करती है। इसका उद्देशय बच्चों का शारारिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास एवं भाषा साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है। जैसा कि कहा भी है -

ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्र_

कला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १.२)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, मातृ भाषा में बच्चो को शिक्षित करने की बात रखती है। प्रारम्भिक अवस्था में बालक का शारारिक एवं बौद्धिक विकास मुख्य है। बौद्धिक विकास में उसमे तार्किकता, अक्षर एवं संख्या दक्षता होना अनिवार्य है। अतः राष्ट्रिय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृ भाषा में शिक्षा की बात की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, शिशु की प्रारंभिक अवस्था में खेल कूद आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, संज्ञानात्मक ज्ञान, तार्किकता का विकास आदि तत्त्वों के कारण भारतीय ज्ञान परम्परा के अत्यंत निकट है।

भारतीय ज्ञान परम्परा में ईसीसीई

भारतीय ज्ञान परम्परा में जब हम देखते है तो पाते है की, यह परम्परा पूर्वकाल से ही बच्चे के शिक्षण एवं सम्पोषण पर जागरूक है। भारतीय परम्परा में प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए, एवं उसकी जीवन यात्रा के सुव्यवस्थीकरण के लिए १६ संस्कार बताये है। ये १६ संस्कार जन्म से लेकर मरण तक, जीवन के प्रत्येक खंड में होने वाले परिवर्तन या विकास को चिन्हित करते हैं। इन १६ संस्कारों का नाम एवं संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है -

- **गर्भाधान** : यह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है।
- **पुंसवन** : यह गर्भ के विकास के लिए किया जाता है।
- **सीमन्तोन्नयन** : यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एक और संस्कार है।
- **जातकर्म** : यह नवजात शिशु के जन्म के बाद का संस्कार है।
- **नामकरण** : इसमें शिशु को नाम दिया जाता है।
- **निष्क्रमण** : इसमें शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है।
- **अन्नप्राशन** : इसमें शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है।
- **चूड़ाकर्म** : इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, इसमें शिशु के सिर के बाल काटे जाते हैं।
- **विद्यारंभ** : इससे शिक्षा की शुरुआत होती है।

- **कर्णवेध** : इसमें बच्चे के कान छेदे जाते हैं।
- **यज्ञोपवीत** : यह जनेऊ पहनने का संस्कार है। इसमें शिशु शिक्षा हेतु गुरुकुल जाता है ,अतः इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं।
- **वेदारम्भ** : यह वेदों का अध्ययन शुरू करने का संस्कार है।
- **केशांत** : इसमें शिक्षा पूरी होने पर दाढ़ी-मूंछ का मुंडन होता है।
- **समावर्तन** : यह शिक्षा पूरी होने पर घर वापसी का संस्कार है।
- **विवाह** : विवाह संस्कार।
- **अन्त्येष्टि** : यह मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार है।

इन १६ संस्कारों को विषयाधारित निम्नानुसार वर्गित किया सकता है -

विषय	संस्कार संख्या
गर्भ	१ से ३ (३ संस्कार)
शिक्षा	४ से १४ (११ संस्कार)
विवाह	१५ (१ संस्कार)
मृत्यु	१६ (१ संस्कार)

उपर्युक्त वर्गीकरण से यह बात सुपष्ट हो जाती है कि प्राचीन भारतीय परम्परा में शिशु शिक्षा एवं देखभाल को कितनी वरीयता प्रदान थी। व्यक्ति के जीवन विकास से सम्बन्ध रखने वाले १६ संस्कारों में से ११ पूर्णतयः शिशु विकास एवं शिक्षा से संबंधित संस्कार हैं।

स्मृति ग्रंथों के अतिरिक्त नीतिशास्त्र, पंचतंत्र हितोपदेश आदि कथायें, भागवत आदि पुराणसाहित्य एवं रघुवंश आदि महाकाव्यों में प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा के सूत्र उपलब्ध है। निश्चित ही शिशु देखभाल एवं शिक्षा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है।

स्मृति ग्रंथों में प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा

स्मृति ग्रंथो में १६ संस्कारों की चर्चा मिलती है। उपर्युक्त चर्चा से विदित है कि १६ संस्कारों में से ११ संस्कार शिशु देखभाल एवं शिक्षा से सम्बंधित हैं। जैसा कि मनुस्मृति में कहा है -

> **प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते।**
> **मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्॥ 29॥**
>
> नालच्छेदन से पहले पुरुष का जातकर्म संस्कार किया जाता है और इसे सोने की सलाई से शहद और घी लगाकर वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक चटाया जाता है। (मनुस्मृति २.२९)

चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् ।
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥ 34॥

जन्म से चतुर्थ मास में शिशु का घर से बाहर निकालने सम्बन्धी, निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए तथा छठे महीने अन्नप्राशन संस्कार अथवा जब कुल में मंगलकारी हो एवं करना अभिप्रेत हो तभी करने चाहियें। (मनुस्मृति २.३४)

शिशु शिक्षा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम संस्कार "विद्यारम्भ संस्कार" किया जाता है। संस्कारमयूख में महर्षि मार्कण्डेयजी का वचन है - **'प्राप्तेऽथ पञ्चमे वर्षे विद्यारम्भं तु कारयेत्।'** अर्थात् शिशु की पांच वर्ष आयु प्राप्त होने पर उसका विद्यारम्भ संस्कार किया जाना चाहियें। इसे 'अक्षरारम्भ संस्कार' भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पांच वर्ष की आयु से ही शिशु को अक्षर एवं संख्या ज्ञान देना चाहिए।

शिक्षा के सन्दर्भ में १६ संस्कारों में 'उपनयन संस्कार' अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 'उप' अर्थात् निकट या समीप एवं 'नयन' अर्थात् लाना। उपनयन अर्थात् निकट लाना या समीप लाना। इसमें बालक को गुरु के पास लाया जाता था, और गुरु उसे शास्त्रों के पास ले जाते थे। इसे 'जनेऊ' या 'यज्ञोपवीत' संस्कार भी कहते हैं। मनुस्मृति में इस सम्बन्ध में कहा है कि -

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥36॥

ब्राह्मण (बालक) का उपनयन संस्कार गर्भधारण से आठवें (वर्ष) में, क्षत्रिय का गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में, किन्तु वैश्य का गर्भ से बारहवें वर्ष में करना चाहिए। (मनुस्मृति २.३६)

इसप्रकार प्राचीन धर्मशास्त्रओं में १६ संस्कारों के रूप में प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा से सम्बंधित चर्चा प्राप्त होती है।

नीतिशास्त्रों में प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा

शिशु की सर्वप्रथम गुरु या शिक्षिका उसकी माता होती है। माता ही शिशु को और शिशु सर्वप्रथम अपनी माता को समझता है। माता के साथ-साथ पिता एवं परिवार का भी बड़ा महत्त्व होता है। प्रारम्भिक अवस्था में शिशु अपने बाह्य परिवेश या अपने से सम्बंधित परिवार जनों से ही सीखता है। नीतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध चाणक्य, अपने ग्रन्थ चाणक्यनीति में शिशु शिक्षा के सन्दर्भ में माता पिता की भूमिका बतातें हुए लिखते हैं कि -

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ ११ ॥

वह माता शत्रु है और पिता वैरी है जिसने पुत्र को पढ़ाया नहीं। वह सभा के बीच जंचता नहीं है जैसे कि हंसों के बीच बगुला। (चाणक्यनीति, २.११)

इसे सन्दर्भ में हितोपदेश में भी कहा गया है -

मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः।
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः॥

गर्भ से जन्म देने मात्र से शिशु पंडित नहीं होता है, शिशु माता एवं पिता के अभ्यास से गुणग्राही बनता है।

शिशु में उत्तम गुओ के विकास हेतु पांच वर्ष की अवस्था तक उसका पालन करना चाहिए। पांच वर्ष के बाद शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए उसे शिक्षा प्रदान करना प्रारम्भ करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि धर्मशास्त्र भी पांच वर्ष की अवस्था से ही विद्यारम्भ संस्कार मानते है। चाणक्यनीति के तृतीय-अध्याय में चाणक्य शिशु की शिक्षा विधि के सम्ब्नध में स्पष्ट निर्देशित करते है कि -

लालयेत् पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्॥

पांच वर्ष तक लाड लड़ाये, अगले दस वर्ष तक कस के रखे, जैसे ही सोलहवां वर्ष लगे, पुत्र के साथ मित्र का व्यवहार करे। (चाणक्यनीति, ३.१८)

भारतीय परम्परा में शिशु के विकास हेतु उसके जीवन में माता-पिता, अध्यापक, रक्षक आदि अनेक की भूमिका रहती है। बच्चा अपनई माता, घर-परिवार के साथ-साथ गुरुजन से भी शिक्षा ग्रहण करता है। प्राचीन भारतीय परम्परा "गुरुकुल शिक्षा प्रणाली" की थी। 'उपनयन संस्कार' के बाद सभी बच्चो को गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षित होना होता था। गुरु के आश्रम में राजा या प्रजा के बच्चों में कोई भेद नहीं होता था। सभी बच्चे सामान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए चाणक्यनीति में चाणक्य पांच प्रकार के पिता एवं पांच प्रकार की माता बताते है। जो कि इसप्रकार है

जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति।
अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः॥

जन्म-दाता, उपनयन करने वाला, विद्या प्रदान करने वाला, अन्न देने वाला तथा भय से बचाव करने वाला - ये पांच पिता कहें गये हैं। (चाणक्यनीति,४.१९)

राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथैव च ।
पत्नीमाता स्वमाता च पञ्चैता मातरः स्मृताः॥

राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता (सास) तथा अपनी माता-ये पांच माताएं कही गई हैं (चाणक्यनीति,४.२०)

इसप्रकार धर्मशास्त्र के साथ-साथ नीतिशास्त्र भी भारतीय परम्परा में प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं क्षा के विषय में वर्णन करते है। शिशु के अध्ययन, शिक्षण, लालन, पोषण आदि सभी कार्यों में अभिभावकों का विशेष योगदान होता है। अतः शिशु की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल के लिए अभिभावको का जागरूक होना आवश्यक है।

पुराण साहित्य में प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा

भागवत पुराण के चतुर्थस्कंध में ध्रुवराजा के चरित्र का वर्णन मिलता है। ध्रुव, राजा उत्तानपाद और उनकी रानी सुनीति के पुत्र थे। राजा अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जिससे ध्रुव और सुनीति को उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की तो सौतेली माँ ने उन्हें वहां से हटा दिया। श्रीमद्भागवत पुराण में इसका उल्लेख इसप्रकार है -

मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धः श्वसन् रुषा दण्डहतो यथाहिः ।
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् ॥

(श्रीमद्भागवत पुराण, ४.८.१४)

ध्रुव की हालत डंडे से पीटे गए साँप जैसी थी। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा। उसकी स्थिति को देखते हुए सुनीति द्वारा दी गई सलाह बच्चे के भावनात्मक विकास में माँ के स्थान के महत्व पर ज़ोर देती है। सुनीति निश्चित रूप से यही सिखाती है कि -

आतिष्ठ ताणात वित्तमु समाजादिव्यलीकम् ।
आराधयाधोक्षजपादपदां बदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा ॥

(श्रीमद्भागवत पुराण, ४.८.१९)

अर्थात्, माता ने जो कहा है वह सत्य है। यदि तुम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहते हो, तो दिव्य भगवान के चरणकमलों की पूजा करो। अपनी माता के प्रति द्वेष रहित आचरण करो। इस उपदेश के परिणामस्वरूप ध्रुव तपस्या करने के लिए मधुवन गए और वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त किया। वर प्राप्त करने के बाद लौटने पर ध्रुव के आचरण को देखकर हम सुनीता के उपदेश का प्रभाव देख सकते हैं।

अभिवन्द्य पितुः पादावाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ।
ननाम मातरौ शीर्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः ॥

(श्रीमद्भागवत पुराण, ४.९.४५)

अर्थात्, उसने सुरुचि को भी प्रणाम किया। ध्रुव के मन में उसके प्रति किंचित भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। यह चरित्र दर्शाता है कि पाँच वर्ष के बालक के मन पर तिरस्कार और सदुपदेश का कैसा प्रभाव पड़ता है।

इसीप्रकार श्रीमद्भागवत पुराण के सातवे स्कंध में प्रह्लाद का चरित्र एवं पद्मपुराण के उत्तरखंड भागवत माहात्म्य के गोकर्ण आख्यान में भी प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा से सम्बंधित उदाहरण प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा के सन्दर्भ में बात करती है। यह शिक्षा नीति खेल-कूद आधारित मातृभाषा में शिक्षा पद्धति की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिशु देखभाल एवं शिक्षा के विषय अभिभावक की भूमिका को महत्त्व देती है। मातृभाषा में अक्षर एवं संख्या ज्ञान तथा तर्कशक्ति विकास पर शिक्षा नीति ने अधिक बल दिया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा नीति ने प्राथमिक एवं माध्यमिक (१०+२) शिक्षा को बदलकर प्रारम्भिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (५+३+३+४) में वर्गीकृत किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भारतीय ज्ञान परम्परा के अत्यंत समीप है। भारतीय ज्ञान परम्परा में शिशु देखभाल एवं शिक्षा को वरीयता प्रदान की गई है। भारतीय परम्परा में अनुदित १६ संस्कारों में से ११ संस्कार शिक्षा से ही सम्बंधित है। ये भारतीय परम्परा में शिशु देखभाल, विकास एवं शिक्षा के महत्त्व के स्पष्ट द्योतक हैं। भारतीय परम्परा में धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, पुराणसाहित्य, महाकाव्य आदि सभी ग्रंथो में शिशु देखभाल, विकास एवं शिक्षा की चर्चा मिलती है। नीतिशास्त्र एवं पुराणशास्त्रो में अभिभावकों की भूमिका का स्पष्ट निर्देश है। शिशु के प्रारम्भिक पांच वर्ष लालन फिर शिक्षा का उपदेश है।

प्राचीन भारतीय परम्परा गुरुकुल शिक्षा परम्परा थी। विद्यारम्भ संस्कार के उपरांत बच्चे प्रथम घर में अभिभावको के पास शिक्षा ग्रहण करते थे और उपनयन संस्कार के योग्य आयु प्राप्त कर गुरुकुल में शिक्षा हेतु जाते थे। गुरुकुल में राजा एवं प्रजा सभी के बच्चे एक साथ पढ़ते थे तथा सामान रूप से ही गुरुकुल के नियमों का पालन किया करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समानता के सिद्धांत की स्पष्ट अभियक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा निति में कथित मातृभाषा में शिक्षा समानता के मौलिक अधिकार को ही पोषण करती है।

निष्कर्षतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कथित प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा भारतीय ज्ञान परम्परा में उपलब्ध शिशु देखभाल एवं शिक्षा से सम्बंधित प्रमेयों के अत्यंत निकट है।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२०, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- डॉ सुरेन्द्रकुमार, विशुद्ध मनुस्मृति, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, २०१७.
- सत्यव्रत शास्त्री, चाणक्यनीति, भारतीय विद्या मंदिर, कोलकाता, २०१५.
- श्रीमद्भागवत पुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर